

वनमण्डलाधिकारी / मुख्यवनसंरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के लिय निर्धारित जांच सूची

-00-

कार्य पालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 जिला-शहडोल म0प्र0 द्वारा हिरवार माइको एरिगेशर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु 1.423 है0 वन भूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 28.12.2018 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	विशेष	वनमण्डलाधिकारी / मुख्य वनसंरक्षक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट																		
1	सीमा हेक्टेयर	1.423 है0 वनभूमि																		
2	वनभूमि के स्थान (अक्षांश देशांश डायवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>24°02'03.2463"N</td><td>81°01'58.7447"E</td></tr> <tr> <td>2</td><td>24°02'20.1444"N</td><td>81°02'57.7104"E</td></tr> <tr> <td>3</td><td>24°02'19.7844"N</td><td>81°02'57.7464"E</td></tr> <tr> <td>4</td><td>24°02'21.6924"N</td><td>81°03'05.148"E</td></tr> <tr> <td>5</td><td>24°03'03.978"N</td><td>81°04'08.892"E</td></tr> <tr> <td>6</td><td>24°03'13.01199"N</td><td>81°04'26.496"E</td></tr> </table>	1	24°02'03.2463"N	81°01'58.7447"E	2	24°02'20.1444"N	81°02'57.7104"E	3	24°02'19.7844"N	81°02'57.7464"E	4	24°02'21.6924"N	81°03'05.148"E	5	24°03'03.978"N	81°04'08.892"E	6	24°03'13.01199"N	81°04'26.496"E
1	24°02'03.2463"N	81°01'58.7447"E																		
2	24°02'20.1444"N	81°02'57.7104"E																		
3	24°02'19.7844"N	81°02'57.7464"E																		
4	24°02'21.6924"N	81°03'05.148"E																		
5	24°03'03.978"N	81°04'08.892"E																		
6	24°03'13.01199"N	81°04'26.496"E																		
3	वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति।	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक - पी. 136, पी. 137																		
4	आस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्थान एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया है।																		
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण।	निरंक																		
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कर लिया गया हो तो वनसंरक्षक अधिनियम के दिशा निर्देशों के तहत उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।																		
7	वनस्पति की स्थिति साइट की गुणवत्ता/ प्रजाति संरचना आदि	वृक्षारोपण कार्यवृत्त वनक्षेत्र है। वर्तमान में साइट की गुणवत्ता श्रेणी Vb है।																		
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों, और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्यजीवों की बहुतायत की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी सियार एवं बन्दर पाये जाते हैं। यदाकदा चिंकारा दिखाई देते हैं।																		
9	वनस्पति, पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	निरंक																		
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	वर्तमान कार्य आयोजना में वृक्षारोपण कार्यवृत्त वनक्षेत्र है।																		
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	निरंक																		
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	निरंक																		

क्र0	विशेष	वनमण्डलाधिकारी / मुख्य वनसंरक्षक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव।	निरंक
14	वहां किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्ता का स्थान अगर विगड़ें वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो, नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलो मीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ0 -3/67/2017/10-11/2763, दिनांक 22.09.2017 से दिये गये निर्देशानुसार उक्त परियोजना 05.00 है0 से कम एवं नक्शाल प्रभावित जिले में होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की आवश्यकता नहीं है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके आलावा नजदीकी के संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि0मी0 की दूरी पर होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भरता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है।	निरंक
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से निवासियों को सिंचाई की सुविधा की संभावना है।
19	नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	हां
20	गैर-साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण-पत्र।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण-पत्र दिया गया है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये प्रेड वृद्धि को बढ़ाने की कोई गुंजाईश।	नहीं
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	वनभूमि की मांग न्यूनतम है उक्त परियोजना विकास हित में है, अतः 1.423 है0 वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

स्थान : यथा है या शहडोल
दिनांक : 28.12.2018

20 गैर-साईट विशिष्ट परियोजना के लिये उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा
21 वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के लिये उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा
22 वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये प्रेड वृद्धि को बढ़ाने की कोई गुंजाईश।

23 महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।
24 परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।

(देवांशु शेखर)
मा.व.सं.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर-शहडोल वनमण्डल